न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

123/2025

ीएमएस : 2025/291

अमित कुमार आदि बनाम नरेन्द्रपालसिंह आदि

अन्तर्गत धारा 53–88–188–92ए–209 आरटीएक्ट

स्थिति :–

ी देवेन्द्र कुमार मण्डा वकील प्रार्थी(प्रति सं. 1)

ी मंगतराम नायक वकील अप्रार्थी (वादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

–: निर्णय प्रार्थनापत्र :–

दिनांक : 26.12.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/ प्रति.सं. 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादीगण ने मुझ प्रतिवादी के खातेदारी रकबा वाके चक 6 एन.जेड.पी.–ए तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 6 प.नं. 212/326 के कि.नं. 4 ता 23 की 5.018 है. भूमि को लेकर मुझ प्रतिवादी के विरूद्व पेश अदालत किया गया है। उपरोक्त वर्णित रकबा के संबंध में वादीगण द्वारा पूर्व में भी एक वाद पत्र संख्या 92/2022 बअनवान अमित कुमार आदि बनाम नरेन्द्रपाल आदि माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जो वाद पत्र वादीगण द्वारा वाद पत्र की पूरी प्रोसिंग नहीं किये जाने वा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वाद पत्र का प्रोसेस बार–बार मौका दिये जाने के उपरान्त पूरा नही किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा वाद पत्र दिनांक 09.10.2024 को खारिज फरमा दिया गया। वादीगण द्वारा पूर्ववती वाद पत्र की विषयवस्तु को लेकर ही पुनः वाद पत्र पेश किया है जबकि वादी द्वारा पूर्ववर्ती वाद पत्र व वर्तमान वाद पत्र की विनाऐ दावा एवं मुखास्मत दावा दोनों की तारीखों का अलग–अलग वर्णन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा बार–बार वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर मुझ प्रतिवादी को मात्र तंग परेशान एवं हैरान करने के आश्य से पेश किये जा रहे है जबकि वादीगण की ओर से पूर्व में मुझप्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत वाद पत्र का निस्तारण किया जा चुका है जिसके विरूद्व वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही आज तक कही नहीं की गयी है तथा अब वादीगण को मुझ प्रतिवादी के विरूद्व कोई विनाऐ दावा एवं मुखास्मत दावा विवादित भूमि बाबत नहीं रह गया है उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्य नजर वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीगण को कोई विनाए दावा एवं मुखास्मत दावा हासिल नहीं होने के कारण वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिजी [illegible] हलफनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प[illegible]रा वर्जित व चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज [illegible]

2. अप्रार्थी (वादी) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आ. 7 नियम [illegible] धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र अदम पैरवी हाजरी में खारिज किया गया था क्योंकि पूर्व में वाद मैरिट पर डिसाइड नहीं [illegible] है इसलिए रैस ज्यूडी केटा का नियम लागु नहीं होता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:26:27 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner